न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/187

डॉ0 खुशबीर सिंह आत्मज हरबंस सिंह जाति सिक्ख निवासी गुरूनानक स्कूल के पास, हाट रोड कोटा जं0 कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. अरमिन्दर सिंह पुत्र हरमेन्द्र सिंह उर्फ महेन्द्र जाति सिक्ख निवासी गुरूनानक कोलोनी, बून्दी ।
2. यशपाल कौर बेवा हरमेन्दर सिंह जाति सिक्ख निवासी गुरूनानक कोलोनी बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. सिमरजीत सिंह पुत्र माता कुलदीप कौर जाति सिकख ।
   2/2. सतकीरत सिंह पुत्र अरविन्दर सिंह जाति सिक्ख नाबालिग जरिये संरक्षक पिता जरिये अरविन्दर सिंह ।
3. डॉ0 महेन्द्र सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति सिक्ख निवासी स्वर्ण हॉस्पीटल हाट रोड कोटा जं0 कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री अशोक गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 27.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 28.06.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 व 02 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद बंटवारा भूमि का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खेडला तहसील तालेडा जिला बून्दी में खसरा नम्बर

489/112 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 491/309 रकबा 01 बीघा कुल किता 02 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1व 2 के संयुक्त खाते में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी में से कुछ भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में अवाप्त की गई थी भूमि अवाप्ति बाबत् यह मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिकारी के द्वारा तय किया गया था उसको वादीगण व प्रतिवादीगण कम 1 व 2 द्वारा अपने हिस्से के अनुसार प्राप्त कर लिया है । अवाप्त की गई भूमि के पश्चात् जो भूमि शेष रहती है उसके खातेदार वादी 1/2 हिस्सा, वादिनी अरविन्दर 1/4 हिस्सा, श्रीमती यशपाल कौर 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी कम 1 व 2 1/2 अर्थात् खुशबीर सिंह 1/4 हिस्सा व डॉ0 महेन्द्र सिंह 1/4 हिस्से के खातेदार हैं । वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करावें और विभाजन के प्राप्त भूमि को पृथक–पृथक खाते में दर्ज करावें तथा पृथक–पृथक लगान कायम करावें ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि चरण संख्या 01 में वर्णित वादग्रस्त आराजी में से राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त किये जाने के पश्चात् जो भूमि शेष बचती है उस आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण कम 1 व 2 के मध्य नियमानुसार विभाजन किया जावे । विभाजन में प्राप्त होने वाली भूमि को प्रत्येक सहखातेदार के पृथक–पृथक खाते में दर्ज किया जावे ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.06.2019 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर वादीगण व प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार 1/2 – 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28.06.2019 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 01 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये बिना निर्णय एवं डिक्री पारित की है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28.06.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी मौका पटवारी सितम्बर, 2021 को मौके पर नापतौल करने आया तब निर्णय की जानकारी हुई जिस पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के द्वारा परीक्षण न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद विभाजन भूमि का प्रस्तत किया । रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त वाद वादग्रस्त आराजी को हडपने के आशय से उक्त वाद पेश किया है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई नोटिस तामील नहीं करवाये हैं । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । दौराने वाद वादिनी कम 02 यशपाल कौर की मृत्यु हो गयी तथा उनकी मृत्यु उपरान्त उनके द्वारा की गई तथाकथित वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट कम 2/1 एवं 2/2 के नाम इंतकाल तस्दीक किया । वादग्रस्त आराजी का मौखिक रूप से विभाजन हो चुका था इसकी जानकारी होते हुए भी वादीगण रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में वाद पेश किया है । इन तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2019 निरस्त फरमाया जावे।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. परीक्षण न्यायालय में वादी की ओर से नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 प्रदर्श– 1 पेश की है जिसके अनुसार ग्राम खेडला तहसील तालेडा में खाता नया खाता संख्या 11 में खसरा नम्बर 489/112 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 491/309 रकबा 01 बीघा कुल किता 02 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा भूमि अरविन्दर सिंह वल्द महेन्द्र सिंह उर्फ हरमेन्द्र सिंह व श्रीमती यशपाल कौर पत्नी महेन्द्र सिंह, सुखबीर सिंह व महेन्द्र सिंह पि0 हरबंस सिंह के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है ।

11. वादीगण रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत विभाजन का वाद पेश किया । वाद पेश किये जाने के उपरान्त प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सम्मन तलब किया । परीक्षण न्यायालय ने आदेश दिनांक 16.11.2018 को प्रतिवादीगण की तलबी मानते हुए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश पारित करते हुए वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की है । परन्तु तामील हेतु सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 05 में निर्धारित प्रकिया का परीक्षण न्यायालय द्वारा पालना नहीं की गई है । तामील नोटिस से भी यह स्पष्ट नहीं है कि प्रोपर तामील हुई अथवा नहीं ? अपीलान्ट ने प्रस्तुत प्रकरण में वादी कम 02 श्रीमती यशपाल कौर की दौराने मृत्यु होने का कथन किया है । चूँकि प्रोपर तामील स्पष्ट नहीं है । अतः अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित है । ऐसी स्थिति में हम प्रस्तुत प्रकरण को अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारमिभक डिक्री दिनांक 28.06.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे प्रतिवादी अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.08.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 27.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा